

5.005.25

Teffer

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि ग्राम सरियादेवी नगर तहसील सिवाना खसरा संख्या 447 रकबा 05.4632 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाशत की हैं। उक्त भूमि विभाजित है। प्रार्थी बाहमी बंटवाडे में अपने हिस्से में आई उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता रहा है। मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी होने के आदेश पारित हो चुके हैं। लेकिन अंतिम डिक्री अभी जारी होना शेष है। बिना अंतिम डिक्री जारी हुए अंतरित स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है तो ऐसे में विप्रार्थीगण विवादित भूमि बिना विभाजित हुए अन्य व्यक्तियों को हस्तारित कर दी जायेगी एवं मौके की स्थिति में बदलाव कर देंगे। यदि अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व भूमि की वर्तमान स्थिति में बदलाव होता है तो प्राथमिक डिक्री का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध के स्थगन आदेश कंफर्म किया जावे।</p> <p>इसके विपरित विप्रार्थीगण 7 के वकील की बहस है कि विवादित प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाशत की है एवं एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भाग पर हक निहित होता, किन्तु किसी एक पक्ष को, उसके स्थगन के जरिये उसके खातेदारी हकों के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। विप्रार्थी संख्या 7 भी प्रार्थी के साथ विवादित भूमि के सहखातेदार होने से अपने हिस्से की भूमि पर माफिक बाहमी बंटवाड़ा एवं कब्जाकाशत विकास कार्य करने की अधिकारिता रखते हैं तथा विप्रार्थी संख्या 7 विवादित भूमि में सहखातेदार होने से उन्हें जरिये स्थगन पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा माफिक हक हिस्सा अपनी भूमि का विकास एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है तथा सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक होता है और अपने वास्तविक हिस्सों की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थगन के जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये हैं जिससे प्रतीत होता है कि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो। तथा मूल वाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के निवेदन पर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित हो चुके हैं।</p> <p>लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन दिनांक 14.05.2024 को निरस्त किया जाकर आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर रद्द की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।</p>	



सहायकी कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना